

अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016-17

• प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष .....  
 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम श्री संदीप गोयल (2) वर्तमान धारित पद सहायक यंत्री

(3) कार्यालय का नाम (अउदा.नि.) संभाग, म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. सतना (4) वर्तमान वेतन 28630+6600+डीए (5) पविष्यनिधि क्रमांक 26121806 (6) कर्मचारी संख्या 90297191

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति नाम तथा ब्योरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये तथा वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला सतना, तहसील नागौद	मकान	—	70 लाख अनुमानित	पिता श्री अर्जुन दास जी अग्रवाल के स्वर्गवास के पश्चात माता श्रीमती शांति देवी अग्रवाल के अधीन है।	यह मकान अभी तक मेरे नाम से नामांतरित नहीं हुआ है।	90 हजार लगभग	इसकी आयकर विवरणी अर्जुनदास जी अग्रवाल (एचयूपफ.) में की जाती है।
जिला सतना, तहसील मैहर	मकान	—	14 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम से हाउसिंग बोर्ड में बुक किया गया है।	स्वयं की बचत से हाउसिंग बोर्ड में किस्त जमा की गई। अभी तक मकान की रजिस्ट्री नहीं की गई है।	—	—
जिला सिंगरीली, तहसील बैद्वन (गनियारी)	—	भूमि	4 लाख अनुमानित	पत्नि श्रीमती ममता गोयल के नाम से	श्रीमती ममता गोयल की स्वयं की बचत से उनके द्वारा रुपये 1.25000.00 प्रति डिसमिल की दर से 1.96 डिसमिल भूमि श्री बालेन्द्र सिंह तनय श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री विश्वाल्वा प्रसाद मिश्रा तनय श्री मथुरा प्रसाद मिश्रा से दिनांक 05.08.13 को कय की गई है।	—	—
जिला सतना तहसील नागौद	—	भूमि	9 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम से	स्वयं की बचत से 325.50 प्रति वर्गफिट की दर से 25x80 = 2000 वर्गफिट भूमि श्री अरुण गोयल, श्रीमति परिजात मिश्रा पत्नि श्री परितोष मिश्रा, श्रीमति चंद्रप्रभा मिश्रा पत्नि श्री नागेश्वर मिश्रा निवासी नागौद से नामतारा तहसील नागौद जिला सतना में दिनांक 31.03.14 को कय की गई है।	—	—

हस्ताक्षर .....  
 नाम संदीप गोयल  
 पद सहायक यंत्री

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।  
 टिप्पणी मण्डल द्वारा बाह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।